

## भाग 4 (ग)

### अन्तिम नियम

### ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय भोपाल , वल्लभ भवन ,

भोपाल , दिनांक 2009 मार्च 13

क्र. एफ-1-18-06-बावन-1.-मध्यप्रदेश अधिनियम , 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 29 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार , एतद्वारा , मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विनियम , 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

#### संशोधन

विनियम की धारा 7 (1) में आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष स्थापित की जावे .

विनियम की धारा 7 (2) खण्ड-1 में 58 वर्ष की आयु के स्थान पर 60 वर्ष की आयु प्रतिस्थापित की जावे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

एम.ए. खान, प्रमुख सचिव .